निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 117/2020 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

गोपीराम पुत्र कालूराम जाति माली निवासी ग्राम लक्ष्मीनारायणपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. गोवर्धन लाल शर्मा उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर)।
2. देवीलाल पुत्र नाथू
3. झब्बू पुत्र नाथू
4. चन्दा पुत्र नाथू

समस्त जाति माली निवासी ग्राम लक्ष्मीनारायणपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उपखण्ड अधिकारी जयपुर दक्षिण के समक्ष लम्बित मुकदमा नम्बबर 32/2019 उनवानी देवीलाल बनाम कमला व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण करने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री ओम प्रकाश सैनी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री हरीश कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से ।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

निर्णय दिनांक 07.01.2021

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण के समक्ष प्रकरण संख्या 32/2019 उनवानी देवीलाल बनाम कमला व अन्य विचाराधीन है। जिसमें वैश्विक महामारी कोविड–19 कोरोना के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को साक्ष्य लेखबद्व नहीं किये जाने हेतु मना किया हुआ है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने जानबूझ कर प्रकरण में प्रतिदिन सुनवाई की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 की ओर से प्रस्तुत प्रकरण में वैश्विक महामारी कोविड–19 कोरोना के राज्य सरकार द्वारा जारी आवश्यक गाईड लाईन की अवमानना कर प्रार्थी को न्यायालय में साक्ष्य पेश करने के लिए प्रताडित कर रहा है तथा प्रार्थी जो कि 70 वर्षीय वृद्व है, को अधीनस्थ अप्रार्थी संख्य 1 जान से मारना चाहता है तथा साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य बन्द की जाकर प्रकरण का एक पक्षीय निर्णय करने पर आमादा है। प्रार्थी को अप्रार्थीगण संख्या 2

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

लागायत 4 के साथ आये अन्य बिचौलिये व्यक्ति ने प्रार्थी को ग्राम में धमकी दी, कि हमारी एसडीएम साहब से बात हो चुकी है। एसडीएम साहब दावे में आगामी तारीख पेशी पर नियत कर दावे को अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 में हक मे निस्तारित कर देंगे। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 व उसके साथ आये बिचौलिये व्यक्ति की उक्त हरकतों को देख कर प्रार्थी आश्चर्यचकित हो गया, कि ये कैसे हुआ। जब अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 व उसके साथ आये बिचौलिये व्यक्ति से अप्रार्थी संख्या1 मिल गया है, तो प्रार्थी को न्याय प्राप्त होना असम्भव है। इस प्रकार प्रार्थी को उक्त न्यायालय से न्याय प्राप्ति की कोई उम्मीद नही रही है। ऐसा कथन अंकित उक्त उनवानी प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में सुनवाई दिनांक 28.01.2021 नियत की जाकर उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 4 ने उपस्थित होकर शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश किया। उभय पक्ष को सुना जाकर शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया ।

3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पर गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी अधिवक्ता की मुख्य दलील है कि प्रार्थी 70 वर्षीय वृद्ध है, इसके बावजूद पीठासीन अधिकारी द्वारा कोविड–19 के दौरान भी साक्ष्य ली जा रही है। इस पर अप्रार्थी अधिवक्ता का तर्क है कि अब कोविड–19 के लिए जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप सुरक्षा के उपाय सुनिश्चित करते हुये नियमित रूप से सुनवाई किये जाने के निर्देश है। इसलिए मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे। उभय पक्ष को गौर से सुनने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

5. उपखण्ड मजिस्ट्रेट दक्षिण जयपुर शहर (सहायक कलक्टर) प्रकरण का गुणावगुण एवं मैरिट के आधार पर निर्णय पारित करना सुनिश्चित करे।

6. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा उपखण्ड मजिस्ट्रेट दक्षिण जयपुर शहर (सहायक कलक्टर) को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

7. निर्णय आज दिनांक 7.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

7/1/21

(अन्तर सिंह नेहरा)

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर